क्रम संख्या–57

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 18 फरवरी, 2014 ई0
माघ 29, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 72/XXXVI(3)/2014/07(1)/2014
देहरादून, 18 फरवरी, 2014

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014"** पर दिनांक 17 फरवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

चिकित्सा शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए उत्तराखण्ड में चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए–

अधिनियम

अध्याय –एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) **इस अधिनियम का नाम हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है।**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) **यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।**

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अधिनियम में–

(क) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''उत्तराखण्ड'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ग) ''राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) ''कुलाधिपति'' का आशय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल से अभिप्रेत है;

(ङ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत है;

(च) ''चिकित्सा विज्ञान'' से इसकी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक औषध, सम्बन्धित निवारक, सम्पर्वतन रोग मुक्ति और पुनर्वास सेवाएं अभिप्रेत हैं और इसमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान, भेषज, दन्त विज्ञान, नर्सिंग, परा चिकित्सा और अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित है ;